*न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल, ए. सी. जे. और एच. एस. बेदी, जे. के समक्ष*

आई. एन. ई. डी. जी. का *संघ, ए,-याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

हरबंस सिंह तुली एंड संस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, *चंडीगढ़,-उत्तरदाता।*

*1990 का सिविल* संशोधन *सं.* 2934

14अप्रैल, 1991।

*मध्यस्थता अधिनियम,* 1940-*धारा* 8-मध्यस्थ *की नियुक्ति अनुबंध में मध्यस्थता खंड, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति नामित* प्राधिकारी *द्वारा की जाती है, न कि पक्षों की सहमति से-इसलिए धारा 8 का सहारा* लेकर की गई नियुक्ति *अवैध है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अनुबंध में मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति एक नामित प्राधिकारी द्वारा की जानी है न कि सहमति से।

पक्षकारों में से, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के प्रावधानों को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसे मध्यस्थ को विवाद का मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 8 का सहारा लेकर मध्यस्थ की नियुक्ति ही अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अवैध है और इस प्रकार नियुक्त *मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय गैर-स्थायी होगा।*

(पैरा 9)

भारत संघ बनाम *मेसर्स* अजीत मेहता और एसोसिएट्स ए. आई. आर. 1990 बॉम्बे 45.

(फॉलो किया)

*श्री अनिल* कुमार *सूरी, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़,*

*दिनांक 20 अगस्त 1990 के न्यायालय के आदेश के संशोधन के लिए याचिका, जिसमें श्री पुरनजीत सिंह,* अधीक्षक *अभियंता, राजधानी परियोजना, चंडीगढ़ को याचिकाकर्ता के दावों पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर, 1990 से प्रभावी होगी। यह आदेश श्री ए. वी. गोपाल कृष्ण की नियुक्ति को भी रद्द करता है, जिन्हें वर्तमान याचिका* विचाराधीनता रहने *के दौरान 25* जुलाई, *1990 को* दूसरी बार *मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।*
*दावाः याचिकाकर्ता के दावों पर* निर्णय *लेने के लिए श्री* वी. *बद्रीनाथ के स्थान पर एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए* मध्यस्थता *अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत याचिका।*

*पुनरीक्षण में दावाःनिचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय तिवारी के *साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद सरूप।*
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता गुरप्रीत सिंह के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. बिंद्रा।*

न्याय

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के आदेशों के खिलाफ निर्देश दिया गया है। उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़, दिनांक 30 जुलाई, 1990 और 20 अगस्त, 1990, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) को अनुमति दी गई है और श्री पुरनजीत सिंह, अधीक्षक अभियंता, कैपिटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। पक्षों के

बीच विवाद पर निर्णय लें। इस याचिका को दायर करने के लिए तथ्य इस प्रकार हैंः

(2) मेसर्स हरबंस सिंह तुली और संस चंडीगढ़, यहाँ के प्रतिवादी, ने याचिकाकर्ता के साथ समझौता संख्या CE NZ/PGH(P)/I-6 1969-70 किया था, जो उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में अधिकारियों के 'मेस' और एकल अधिकारियों के क्वार्टर्स की प्रदान करने के लिए था।" उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में क्वार्टर दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पर लखनऊ में हस्ताक्षर किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा परियोजना पर काम शुरू करने के बाद, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 70 का सहारा लेते हुए, जो समझौते का हिस्सा है, प्रतिवादी ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इंजीनियर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को आवेदन किया। ठेकेदार की मांग के अनुसार, ब्रिगेडियर ई. एम. ए. दा कोस्टा मुख्य अभियंता, पुणे और राजस्थान क्षेत्र को 23 नवंबर, 1973 को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

(3) इसके बाद 'थेक चेकर्डहिस्टरी' में संशोधन के आधार पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी ने 2 दिसंबर, 1973 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थ के रूप में ब्रिगेडियर ई. एम. ए. डी. ए.-कोस्टा की नियुक्ति का विरोध किया। ब्रिगेडियर डी. ए. आर. कोस्टा के समक्ष कार्यवाही को प्रतिवादी द्वारा सभी प्रकार की तुच्छ आपत्तियां उठाकर अंतहीन रूप से घसीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप, ब्रिगेडियर डी. ए.-कोस्टा की मध्यस्थ के रूप *में* नियुक्ति फरवरी, 1973 में सेना से उनकी रिहाई पर समाप्त हो गई। इसके बाद, 27 अप्रैल, 1976 के आदेश के अनुसार ब्रिगेडियर एस. डी. एल. जैनी को

मध्यस्थ नियुक्त किया गया और वह भी 18 मार्च, 1978 को अपनी सेवानिवृत्ति तक मध्यस्थता कार्यवाही में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। 29 अप्रैल, 1978 को श्री जी. आर. मीरचंदानी को मध्यस्थ नियुक्त किया गया और उन्होंने 11 अप्रैल, 1980 को अपनी नियुक्ति छोड़ दी, क्योंकि उन्हें 31 जुलाई, 1980 को सेवानिवृत्त होना था। 12 जून, 1980 को इस प्रकार नियुक्त होने वाले अगले मध्यस्थ श्री वी. बद्रीनाथ थे और उन्होंने 14 सितंबर, 1984 को अपनी नियुक्ति छोड़ दी, क्योंकि पुनर्व्यवस्थित-ठेकेदार ने चार साल से अधिक समय से उनके साथ सहयोग नहीं किया था। इस प्रकार सृजित रिक्ति में श्री वाई. एन. आर. राव को 4 दिसंबर, 1989 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने स्थानांतरण पर 23 अप्रैल, 1990 को अपनी नियुक्ति छोड़ दी। इसके बाद, श्री ए. वी. *गोपाल* कृष्ण को 25 जुलाई, 1990 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। यह उनकी नियुक्ति है, जिसे उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने 20 अगस्त, 1990 के विवादित आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया था। पुनरीक्षण के आधार को पढ़ने से मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में प्रतिवादी के अवरोधक रवैये का संकेत मिलेगा। यह भी स्पष्ट होगा कि मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत संघ ने लगभग 18 वर्षों की अवधि के दौरान मध्यस्थों की नियुक्ति में किसी भी स्तर पर देरी नहीं की। एक मध्यस्थ द्वारा प्रभार छोड़ने के कारण रिक्त स्थान एक अपवाद के साथ दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति से भरा गया था और रिक्तियों को भरने में याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई लापरवाही या इनकार किया गया था।

(4) 6 जून, 1989 को प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उप न्यायाधीश प्रथम

श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदन की सूचना याचिकाकर्ता (भारत संघ) को दी गई थी, जो पेश हुए और 13 अक्टूबर, 1989 को एक लिखित जवाब दाखिल किया, जिस पर विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। उप-न्यायाधीश के समक्ष मुद्दा संख्या 4 को जोर-शोर से दबाया गया और इसने दलील दी कि चंडीगढ़ के न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि अनुबंध/समझौते को लखनऊ में निष्पादित किया गया था और पिथौरागढ़ में किया गया कार्य और भुगतान किया गया था। यह आग्रह किया गया कि आवेदन लखनऊ या पिथौरागढ़ में दायर किया जाना चाहिए था और चंडीगढ़ में वाद हेतुक सामने नहीं आया है, चंडीगढ़ की अदालतों को आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा *करने* के बाद, विद्वान उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने 30 जुलाई, 1990 के अपने फैसले के अनुसार आवेदन की अनुमति *दी* और उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, विद्वान उप न्यायाधीश ने 20 अगस्त के अपने आदेश के अनुसार, श्री पुरनजीत सिंह, अधीक्षक अभियंता, कैपिटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ को मध्यस्थ नियुक्त किया और श्री ए. वी. गोपाल कृष्ण की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया, जिन्हें अनुबंध के संदर्भ में 25 जुलाई, 1990 को मुख्य अभियंता द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त दोनों आदेशों को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में आक्षेपित किया गया है।

(5) श्री आनंद स्वरूप, विद्वान भारत संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दो बिंदुओं का आग्रह किया है;

(i) कि चंडीगढ़ के न्यायालयों के पास प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था और

(ii) हाथ में मामला अधिनियम की धारा 8 के दायरे में नहीं आता था, जिसके परिणामस्वरूप उप न्यायाधीश के पास मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(6) अपने मामले के समर्थन में, श्री आनंद स्वरूप ने उन दलीलों को दोहराया है जो उप न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पक्षों के बीच अनुबंध पर लखनऊ में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पिथौरागढ़ में निष्पादित किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिवादी को भुगतान भी किया गया था। चूंकि अनुबंध के किसी भी हिस्से को चंडीगढ़ में निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यहां के न्यायालयों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। जवाब में, श्री आर. एस. बिंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 पर भरोसा करने की मांग की है, जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई है पथुम्मा बनाम कुंतलान *कुट्टी* (1) *में उच्चतम* न्यायालय। धारा 21 आई. *बी.* आई. डी. निम्नानुसार हैः

"21. *अधिकार क्षेत्र पर* आपत्ति।–(1) मुकदमा करने के स्थान के बारे में कोई आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायाधीशालय द्वारा तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर न्यायाधीशालय में नहीं ली गई थी और उन सभी मामलों में जहां ऐसे समझौते पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा

किया जाता है, और जब तक कि न्यायाधीश की परिणामी विफलता नहीं हुई है।

(2) न्यायालय की अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं के संबंध में उसकी क्षमता के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायाधीशालय द्वारा तब तक अनुमति दी जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति न्यायाधीशालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा किया जाता है, ऐसे समझौते पर या उससे पहले नहीं ली गई थी, और जब तक कि न्यायाधीश की परिणामी विफलता न हुई हो।

(3) अपनी अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संदर्भ में निष्पादन न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति, किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द संभव अवसर पर अनुमति नहीं दी जाएगी, और जब तक कि न्यायाधीश की परिणामी विफलता न हुई हो।”

(7) यह स्वीकार करते हुए कि मुकदमा करने के स्थान के संबंध में आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा जल्द से जल्द संभव स्तर पर ली गई थी, उन्होंने आग्रह किया है कि क्षेत्रीय न्यायाधीशशास्त्र के संबंध में आपत्ति को वैध रूप से बनाए रखने से पहले, पीड़ित पक्ष को यह दिखाना होगा कि न्यायाधीश की परिणामी विफलता हुई है। लेखाःएक न्यायालय जो अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी मामले का निर्णय करता है। अभिलेख को देखने के बाद, हमारी राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों द्वारा न्यायाधीश की विफलता *बड़ी* बात है। 20 अगस्त, 1990 के आदेश के अनुसार, श्री पुरनजीत सिंह थे। नियुक्त मध्यस्थ '1 सितंबर, 1990 से प्रभावी जबकि उत्तरदाता आपके

विपक्ष के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थों के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने में विलंबित और अवरोधक रहा था, ऐसा लगता है कि उसने अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए असाधारण उत्साह दिखाया था। ऐसा लगता है कि श्री पुरनजीत सिंह ने उनकी नियुक्ति स्वीकार कर ली हैः फुर्ती के साथ, और शुरू से अंत तक गति के एक उल्लेखनीय विस्फोट में, लगभग अठारह वर्षों तक चली मध्यस्थता कार्यवाही को पाँच सप्ताह की अवधि में समाप्त किया गया और 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। 11,64,114.00 प्रतिवादी के पक्ष में बनाया गया है। पुरस्कार को पढ़ने से पता चलता है कि मध्यस्थ ने पहली बार भारत संघ को 20 सितंबर, 1990 को या उससे पहले अपना बचाव प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया और चंडीगढ़ में मामले की सुनवाई 4 से 7 अक्टूबर, 1990 तक निर्धारित की। मध्यस्थ के निर्देश के जवाब में, मुख्य अभियंता से एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें उनसे मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया गया था। चूंकि 20 सितंबर, 1990 से पहले मध्यस्थ को बचाव में अभिवचन प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए 1 अक्टूबर, 1990 को या उससे पहले आवश्यक कार्य करने का एक और अवसर दिया गया था। चूंकि आवश्यक बचाव 1 अक्टूबर, 1990 तक भी दायर नहीं किया गया था, और किसी ने भी निर्धारित तिथि पर मध्यस्थ के समक्ष भारत संघ की ओर से उपस्थिति नहीं दी *थी, इसलिए* 8 अक्टूबर, 1990 को एक एकपक्षीय पुरस्कार दिया गया था।

(8) उपरोक्त 7 तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ *ने* असाधारण उत्साह के साथ आगे बढ़कर अपनी नियुक्ति के पांच सप्ताह की अवधि के भीतर पुरस्कार प्रदान किया। प्रतिवादी को जारी

किए गए पहले आदेश में सुनवाई की तारीख तय की गई थी और आगे कोई तारीख नहीं दी गई थी। पुरस्कार की जांच पर मध्यस्थ का आचरण अधिक संदिग्ध हो जाता है। हालांकि यह सच है कि मध्यस्थ को अपने निर्णय के समर्थन में कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस नियम को उस समय से अलग किया जाना चाहिए जब मध्यस्थता समझौते में स्वयं यह प्रावधान किया गया है कि कुछ कारणों को स्वीकार किया जाना है। रायपुर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम मेसर्स चोकामल ठेकेदार और अन्य (2), और एस. *हरचरण सिंह बनाम भारत संघ* (3) *के रूप में रिपोर्ट किए* गए *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के* कुछ *निर्णयों द्वारा इस* दृष्टिकोण में हमारा समर्थन किया जाता है। अनुबंध की सामान्य शर्तों के धारा 70 से यह स्पष्ट होगा कि मध्यस्थ उसे निर्दिष्ट किए गए सभी मामलों पर अपना निर्णय देगा और विवाद की प्रत्येक वस्तु पर अलग-अलग दी गई राशियों के साथ अपने निष्कर्षों को भी निर्दिष्ट करेगा।खंड में "निष्कर्ष" शब्द के लिए मध्यस्थ को अपने पुरस्कार के समर्थन में कुछ कारण देने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, पुरस्कार को पढ़ने से संकेत मिलता है कि प्रदान की गई राशि के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। इसी अतिरिक्त कारण से 8 अक्टूबर, 1990 का पुरस्कार *दुर्भावनापूर्ण है। उपरोक्त* तथ्यों के सारांश से यह स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह चंडीगढ़ में अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन दायर करने में याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ है और इस तरह, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ को अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(9) श्री आनंद स्वरूप द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा है। कि

यह मानते हुए भी कि चंडीगढ़ के न्यायालयों को अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। उसके तहत कारबर्ट की शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तेःखंड नहीं बनाए जाते हैं।

दूसरी ओर, श्री बिंद्रा ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी का मामला अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के अंतर्गत आता है। उपरोक्त धारा निम्नानुसार हैः

"धारा 8 (1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में -

(a) XXXXXXXX

(b) यदि कोई नियुक्त मध्यस्थ या अंपायर लापरवाही करता है या कार्रवाई करने से इनकार करता है, या कार्रवाई करने में असमर्थ है या मर जाता है और मध्यस्थता समझौता यह नहीं दर्शाता है कि यह इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए, और पक्ष या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, करते हैं। रिक्ति की आपूर्ति नहीं करता है; या

(c) कोई भी दल अन्य दलों की सेवा कर सकता है या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, लिखित सूचना के साथ नियुक्ति या नियुक्तियों में या रिक्ति की आपूर्ति में सहमति।

(2) यदि नियुक्ति पंद्रह दिन के भीतर नहीं की जाती है,

उक्त नोटिस की सेवा के कुछ दिनों बाद, न्यायालय, "नोटिस देने वाले पक्ष के आवेदन" पर और अन्य पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, एक मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। मामला हो सकता है, जिसके पास संदर्भ में कार्य करने और एक पुरस्कार देने की समान शक्ति होगी जैसे कि उसे या उन्हें सभी पार्टियो की सहमति से नियुक्त किया गया था।

तथापि, हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होती है। अनुबंध की सामान्य शर्तों का धारा 70 निम्नानुसार हैः

"अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवाद (जिनके लिए सी. डब्ल्यू. ई. या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होने के लिए व्यक्त किए गए अनुबंध के अलावा), दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध के लिए लिखित सूचना के बाद उनमें से दूसरे को एक इंजीनियर अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जिसे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, तब तक ऐसा निर्देश तब तक नहीं होगा जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, कथित रूप से पूरा नहीं हो जाता या काम को परित्याग दिया जाता है या निर्णय नहीं लिया जाता है।

यदि 'इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे

देता है या अपना पद खाली कर देता है या किसी भी राजद्रोह के कारण कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है', तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

द. मध्यस्थ को तारीख पर संदर्भ दर्ज करने के लिए कहा जाएगा; सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करना करें। मध्यस्थ, समय-समय पर पक्षों की सहमति से, पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। मध्यस्थ अपने पास भेजे गए सभी मामलों पर अपना निर्णय देगा और विवाद के प्रत्येक व्यक्तिगत विषय पर अलग-अलग दिए गए धन राशि के साथ अपने निष्कर्षों को भी बताएगा। मध्यस्थता का स्थान ऐसा स्थान या स्थान होगा जो मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकाधिकार पर तय किया जाए। मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम होगा और अनुबंध के लिए दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। '

उपर्युक्त खंड का एक वाचन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मुख्य अभियंता द्वारा की जानी है और यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना पद खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) को लागू करने से पहले निम्नलिखित तीन मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः–

(i) यदि कोई नियुक्त मध्यस्थ या अंपायर लापरवाही करता है या कार्रवाई करने से इनकार करता है, या कार्रवाई करने में असमर्थ है या उसकी मृत्यु हो जाती है,

(ii) मध्यस्थता समझौता यह नहीं दर्शाता है कि यह इरादा था कि रिक्ति की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए; और

(iii) पक्ष या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, रिक्ति की आपूर्ति नहीं करते हैं।"

वर्तमान मामले में उपरोक्त तीन शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। मुख्य अभियंता द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त मध्यस्थ द्वारा कोई लापरवाही या इनकार नहीं किया गया है और वास्तव में, कई मध्यस्थों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरा, यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त धारा 70 विशेष रूप से प्रदान करता है कि मध्यस्थ के पद के लिए रिक्ति के मामले में, उक्त रिक्ति को उस धारा के तहत भरा जाना है। यह ध्यान दें योग्य हो सकता है कि जब 20 अगस्त, 1990 को उप न्यायाधीश का आदेश पारित किया गया था, तब भी एक मध्यस्थ वास्तव में पद पर था और उस मध्यस्थ की नियुक्ति को विशेष रूप से रद्द कर दिया गया था। यह और स्पष्ट है कि यदि अनुबंध में मध्यस्थता धारा के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति एक नामित प्राधिकारी द्वारा की जानी है न कि पक्षों की सहमति से, तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।हम भारत संघ बनाम मेसर्स अजीत मेहता एंड एसोसिएट्स (4) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के एक *निर्णय द्वारा लिए* गए *दृष्टिकोण से*

*मजबूत हैं, जिसमें* धारा 70 (जो वर्तमान मामले में धारा 70 के समान ही है) की व्याख्या की गई थी। उपरोक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अनुबंध में एक स्पष्ट अवधि होती है कि विवाद का निर्धारण केवल एक नामित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और जब एक मध्यस्थ को इस तरह के विवाद का मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 8 का सहारा लेकर मध्यस्थ की नियुक्ति ही अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण शून्य होती है और इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार गैर-स्थायी होता है। यह भी माना गया है कि गैर-स्थायी होने के कारण पुरस्कार को कार्यवाही के

किसी भी चरण में अलग या अनदेखा किया जा सकता है।

(10) इसके लिए ऊपर दिए गए रिकॉर्डेड के लिए; प्रेजेंट के संशोधन की अनुमति है। उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के 30 जुलाई, 1990 और 20 अगस्त, 1990 के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ द्वारा उनकी नियुक्ति के अनुसार की गई सभी कार्यवाही भी रद्द कर दी गई है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि श्री ए. वी. गोपाल कृष्ण, जिन्हें 25 जुलाई, 1990 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, की नियुक्ति बहाल की जाए और यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो मुख्य अभियंता को एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है।यदि प्रतिवादी मध्यस्थ के साथ सहयोग नहीं करता है, तो मध्यस्थ को एकतरफा कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

*आरएनआर*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा